



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल
दूरभाष क्र. 0755-2550091

प्रथम बैठक

मनरेगा अंतर्गत वित्त वर्ष 2011-12 में राशि जारी करने संबंधी एप्राईजल कमेटी की प्रथम बैठक दिनांक 27.09.11 का कार्यवाही विवरण।

—00—

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पत्र क्र. 9294 दिनांक 21.09.11 के तारतम्य में दिनांक 27.09.11 को छतरपुर, देवास, शाजापुर, अलीराजपुर, विदिशा एवं धार के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक उपस्थित हुए। उपस्थित अधिकारियों की सूची पत्र के साथ परिशिष्ट 01 पर संलग्न है। एप्राईजल कमेटी के सदस्यों में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 9295 NREGSMP वित्त एवं लेखा/2011 दिनांक 21.09.11 में अंकित सदस्य उपस्थित हुए। परिशिष्ट 02।

निम्न क्रमवार जिलों के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत राशि मांग के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। प्रस्ताव प्रपत्र ठोक पाए गए। निम्नानुसार कार्यवाही हुई:-

जिला धार

- धार जिले द्वारा अवगत कराया गया कि 20 करोड़ भुगतान किया जाना शेष है जिसको 01 माह में एमआईएस इन्ट्री कर दी जाएगी।
- जिले द्वारा ऑडिट रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2011 तक मुख्यालय में जमा कर दी जाएगी।
- धार जिले द्वारा प्रशासनिक बजट के संबंध में मांग की गई। इस संबंध में परिषद द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
- धार में क्र. 1814 याचिका लंबित है। कार्यवाही तत्काल कर जिला प्रतिवेदन दें।
- जिले के व्यय का आकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 50 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

जिला छतरपुर

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि जनपद पंचायतों ने ग्राम पंचायतों की संख्या के मान से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर्स की नियुक्ति की जावे जिससे की कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ऑडिट रिपोर्ट मुख्यालय पर प्रेषित की जा चुकी है एवं ऑडिट संबंधी सॉफ्टवेयर में ऑन लाईन इन्ट्री की गई है।
- भारत सरकार की शिकायत श्री पवन द्युवारा क्र. 1734/सीएम मॉनिट डी 380/सीएमएस/पीयूबी/2010 श्री विश्वास जैन के पत्र के संदर्भ में प्रेषित है। तत्काल जिले में कार्यवाही हो एवं पालन प्रतिवेदन भेजे।

- जिले के व्यय का आकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 25 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

जिला अलीराजपुर

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि RES एवं अन्य ऐजेन्सियों को रूपए 04 करोड़ का भुगतान किया जाना है जो कि जिला स्तरीय बैंक खाते में उपलब्ध धन राशि से दिया जावेगा। कार्यपालन यंत्री RES एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अवगत कराया कि 10 करोड़ का MIS 30 अक्टूबर, 2011 तक कर लिया जावेगा।
- जिले द्वारा वित्तीय अंकेक्षण रिपोर्ट 30 अक्टूबर तक मुख्यालय को प्रेषित कर दी जावेगी।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि जिला आदिवासी बहुल्य होने के कारण मुख्यालय द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी या तो कार्य पर उपस्थित दर्ज ही नहीं कराते या अल्प समय पर कार्य कर कार्य छोड़ कर चले जाते हैं। अतः स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किए जाने हेतु प्राथमिकता दी जावे। परिषद की स्थापना शाखा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
- जिले के व्यय का आकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 15 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

जिला देवास

- ऑडिट रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2011 तक प्रेषित कर दी जावेगी।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि 05 करोड़ का MIS एक माह में कर लिया जावेगा।
- भारत सरकार का शिकायती प्रकरण श्री कालू ग्राम छयन नैना सोनकच्छ के प्रकरण पर पालन प्रतिवेदन से तत्काल अवगत करावे। आश्वासन क्र. 156 पर तत्काल कार्यवाही से अवगत करावें।
- जिले के व्यय का आकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 15 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

जिला शाजापुर

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा प्रस्ताव संबंधी जानकारी का प्रस्तुतिकरण किया गया।
- सीएम नॉनित सी का प्रकरण 3489-सीएमएस-पी.वूडी-2011 एवं याचिका क्र. 2040 एवं अप्रत्यक्ष प्रश्न 6918 के प्रकरणों पर कार्यवाही लंबित है तत्काल अवगत कराएँ।
- जिले के व्यय का आकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 10 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

जिला विदिशा

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा प्रस्ताव संबंधी जानकारी का प्रस्तुतिकरण किया गया।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि नोबार्डल बैंकिंग लागू कराये जाये।

- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 10 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

इसी के साथ निम्न निर्देश सभी जिलों को दिए गए:-

1. SQM एवं ऑडिट की कण्डिकाओं का पालन जिले तत्काल सुनिश्चित कर परिषद को प्रेषित करें।
2. संकल्प संबंधित कोई भी बिन्दु जिले में लंबित न रखा जाए।
3. मानव दिवस में गिरावट न हो एवं योजना संचालन सफलता पूर्वक हो।
4. 60 : 40 का अनुपात का संधारण हो।
5. औसत मजदूरी भुगतान की स्थिति पर नियंत्रण रखें।
6. ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यय पर नियमानुसार परीक्षण करें।
7. ऑडिट एवं फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट के सॉफ्टवेयर में समस्त आकड़ें तत्काल अंकित किए जाएं। इसी प्रकार मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के सॉफ्टवेयर में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आकड़े अंकित करना सुनिश्चित करें।
8. भविष्य में जिले अपनी मांग प्रस्ताव भेजने समय मासिक लेबर बजट के विरुद्ध कितना व्यय हुआ एवं जो प्रस्ताव है वह किस प्रकार मासिक लेबर बजट से सुसंगत है इस को भी अंकित कर स्पष्ट रूप से गति का प्रस्ताव रखा करें। इसी के साथ ऑपरेशनल गाईड लाईन 2008 में अंकित बी-16 एवं बी-17 के प्रपत्रों का ही उपयोग किया जाए।
9. जिलों को यह भी निर्देशित किया गया जिन ग्राम पंचायतों में अत्याधिक वित्तीय संव्यवहार हो रहे हैं उनके संबंध में सूक्ष्म अनुश्रवण किया जाए।

आयुक्त मनरेगा एवं अध्यक्ष एप्राइजल कमेटी द्वारा अनुमोदित।



(डॉ. राजीव सक्सेना)

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एवं सदस्य सचिव एप्राइजल कमेटी

पृ. क्रमांक / 9436 /NR-18/MGNREGS-MP /11
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक 28/09/11

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त पंचायती राज संचालनालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दिव्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा) मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. सिस्टम एनालिस्ट मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला धार, छतरपुर, अलीराजपुर, देवास, शाजापुर एवं विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार, छतरपुर, अलीराजपुर, देवास, शाजापुर एवं विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एवं सदस्य सचिव एप्राइजल कमेटी

मिटिंग दिनांक 27.09.2011

क्र.	जिले का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद का नाम	मोबाईल नंबर	हस्ताक्षर
1	Chhatarpur	Shavenu Walemb	CEO ZP	9425447060	[Signature]
2	Vidisha	S. B. Singh	CEO ZP	9425140227	[Signature]
3	Alirajpur	Vivek Singh	CEO ZP	9425111888	[Signature]
4	Dewas	Aziz Khar	CEO ZP	9425112712	[Signature]
5	Dewas	J. P. Gaur	EE RES	9893537801	[Signature]
6	Dhar	Deepak Singh	CEO ZP	9425802710	[Signature]
7	Chhatarpur	A. P. Sarda	EE RES	9425252526	[Signature]
8	Chhatarpur	S. S. Mishra	A.O. MUMBAI	9425869527	[Signature]
9	Dhar	Akshay Kumar	ACU	9425043528	[Signature]
10	Dhar	Jasraj Gehlot	D.F.O.	9424800455	[Signature]
11	Dewas	Talish Chouhan	Deo	9827534036	[Signature]
12	Dhar	Bheer Singh Bhanu	SDM	9893664243	[Signature]
13	Dhar	DINESH DHAR	PE	9425045517	[Signature]
14	Vidisha	R. L. MEGHWAL	EE/RES	9425087280	[Signature]
15	Vidisha	A. Mohite	AO	9826575556	[Signature]


मिटिंग दिनांक 27.09.2011

क्र.	जिले का नाम	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद का नाम	मोबाईल नंबर	हस्ताक्षर
16	श्रीकाशीपुर	जी. पी. लीवार	कार्यपालक	94066-80633	<u>जी. पी.</u>
17	श्रीकाशीपुर	शेखर लाल	डी.डी. कार्यालय	94284-43377	<u>शे.</u>
18	श्रीकाशीपुर	पी. एस. तामर	डी.डी. कार्यालय	9425356332	<u>पी. एस.</u>
19	देवास	वी.के. सिंह लखेल	PC-MG NREGS	94241091600	<u>वी.के. सिंह</u>
21	Dewas	Archutash Sharma	A.O. MGNREGS	94249 47000	<u>अ.</u>
22	Dewas	Yagendra Mehta	PC M	98260 94919	<u>यु.</u>

Yagendra Mehta
PC M

उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	पद
1	श्री नीरज मण्डलाई	आयुक्त, मनरेगा
2	श्री घनश्याम सिंह	संयुक्त संचालक वित्त आयुक्त पंचायत राज के प्रतिनिधि
3	श्री एच.पी. शिवहरे	मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
4	सुश्री संजना जैन	संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), मनरेगा
5	डॉ. श्री राजीव सक्सेना	संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा), मनरेगा
6	श्री प्रद्युम्न शर्मा	संचालक, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, मनरेगा
7	श्री उर्वर अहमद	सिस्टम एनालिस्ट, मनरेगा


 J. P. A.